of the C.P.W.D. and Rs. 69,000/- by the Electrical Division in construction of one tube-well and not two (both) tube-wells. This tube-well was not functioning previously but now it is functioning although yield is poor. There is no other tube-well.

(c) Government propose to consider provision of additional tube-well for the Aram Bagh Colony.

Rtfund of Gratuity to retired employees of C.P.W.D.

4305. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Director General (Works) C.P.W.D. and Executive Engineer (Electrical) have received any applications during the last six months from the retired employees of C.P.W.D. Electrical Division III I.P. Estate, New Delhi, for the refund of withheld amount of gratuity;

(b) what action has been taken by the Department on these applications;

(c) whether it is a fact that in some cases the amount of withheld gratuity exceeds the prescribed ceiling of Rs. 1000; and

(d) if so, the details thereof and the action taken against the erring officials of the Department for harassing the retired employees?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (d) Requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

देवली गांव, दिल्ली की अधिसूचित भूमि

4306. **श्री चतुरानन मिश्र :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के भूमि और भवन विभाग द्वारा जारी दिनांक 6 जून, 1985 की अधिसूचना सं०एफ०(23)/85-एल०ए०बी० के अनुसार, जैसाकि दिनांक 25 जून, 1985 के "हिन्दुस्तान" में प्रकाशित हुआ था, देवली गांव की अधिसूचित भूमि का कुल क्षेत्र 11656.1 बीघा है ; और

(ख) यदि हां, तो देवली ग्राम सभा मिली की कुल कितनी भूमि है और खसरा संख्या सहित उसके क्षेत्रफल का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। अवार्ड संख्या 19/87-88 के अनुसार देवली गांव की कुल अधिग्रहीत की गई भूमि 11656-09 बीघा है।

(ख) उपर्युक्त अवार्ड के अनुसार देवली ग्राम सभा की अधिग्रहीत की गई कुल भूमि 6106-16 बीघा है। खसरा नं० सहित क्षेत्र का ब्यौरा सभापटल पर रख दिया जाएगा।

तुगलकाबाद गांव का शहरीकरण

4307. **श्री चतुरानन मिश्र :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महरौली तहसील, दिल्ली में तुगलकाबाद गांव का शहरीकरण किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) तुगलकाबाद गांव के शहरीकरण के पश्चात् कौन सा विभाग ग्राम सभा की भूमि की देखरेख कर रहा है ; और

(घ) ग्राम सभा की भूमि का उसके क्षेत्रफल सहित, ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०अरुणाचलम) : (क) और (ख) मई 1966 और जून 1966 में दिल्ली नगर निगम द्वारा की गई अधिसूचना के अनुसार तहसील महरौली में गांव तुगलकाबाद का शहरीकरण किया गया।